मुख्यमंत्री ने किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ

वनवासी मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन के शुभारंभ सत्र में सम्बोधित करते हुए कहा कि मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल में विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। वनवासी भाई-बहनों तथा सभी वर्ग की बेहतरी के लिए कार्य करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

सरकार ने इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूर भाई-बहनों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करवा दिया है। रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा। सरकार की ओर से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए संभागीय स्तर पर रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्योगपतियों के साथ अनुबंध किए गये हैं। भोपाल में 9वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गयी। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने के कार्य किए गए हैं। प्रदेश में रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन, विद्युत बिल में छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक सरकार द्वारा सबसिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे दाम, यह भारतीय मजदूर संघ का नारा है। सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति मजदूर 5 हजार रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूर भाई-बहन काम की तलाश में गुजरात राज्य की सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में कार्य पर जाते हैं, इसके लिए अब अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। गंभीर बीमारी के समय गरीबों/मजदूरों के उपचार के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। गरीबों के उपचार के लिये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धार और झाबुआ जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे वनवासी जिलों में पढ़ाई एवं उपचार की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गो के लिए प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना अन्तर्गत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई सभी वर्गो को रोजगार स्थापित करने में सरकार द्वारा प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मजदूर भाई-बहनों के कल्याण के लिए संबल योजना संचालित है। संबल योजना अन्तर्गत सभी मजदूर भाई-बहन अपना पंजीयन अनिवार्य रुप से करवाएं। योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास आदि योजनाओं में लाभान्वित किया जा रहा है।

परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार के संबल के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। संबल योजना में रतलाम जिले के 4 लाख 92 हजार मजदूरों का पंजीयन किया जा चुका है। योजना में पुनः सर्वे कराया जाकर वंचित रहे शेष पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे। बच्चों को स्कूल में सायकल, पाठ्य सामग्री, गणवेश तथा फीस की सुविधा सरकार द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए हर किसान के खेत पर पानी पहुंचाना, बिजली के संसाधन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को मोटा अनाज (श्री अन्न) उत्पादन के लिए प्रेरित करने के लिये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत कोदो, कुटकी, मक्का तथा मोटे अनाज उत्पादन करने वाले कृषको को एक हजार रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। डॉ. अम्बेडकर जयन्ती के अवसर से सरकार द्वारा गोपालकों से सहकारिता समितियों के माध्यम से दूध खरीदने की व्यवस्था के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना प्रारम्भ की जा रही है। पशुपालन अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारिता आधारित कार्य किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत 25 से ज्यादा गाय-भैंस पालने वाले गौपालक को अनुदान दिया जाएगा। अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के संस्थापक अरविन्द मोघे का अंग वस्त्रम तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया।

किसानों के सशक्तिकरण के लिये मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन की होगी शुरूआत : मंत्री श्री कंषाना

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन की शुरूआत करेगी।

इसके लिये रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मिशन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह मिशन किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को सशक्त बनाएगा। इससे पहले राज्य सरकार युवा, नारी शक्ति और गरीब कल्याण मिशन घोषित कर चुकी है। मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। मिशन क्रियान्वयन की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव रहेंगे। मिशन क्रियान्वयन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकास के लिए गरीब, युवा, नारी और किसानों के कल्याण पर जोर दे रहे हैं। मंत्री कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में उक्त वर्गों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन में किसानों के कल्याण के लिए किए जाने वाले सभी कामों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। इसके माध्यम से कृषि को जलवायु अनुकूल बनाया जाएगा। धारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाकर जैव विविधता और परंपरागत कृषि ज्ञान संरक्षण का कार्य किया जाएगा। पोषण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

हनुमान प्राकट्योत्सव पर दिव्यांगजनों को मिला नई उम्मीद का उपहार

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

छोला रोड स्थित खेडापति मंदिर परिसर में हनुमान प्राकट्योत्सव के पावन अवसर पर सर्व समृद्धि चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक विशेष जनकल्याणकारी सेवा कार्य का आयोजन किया गया। इस पुण्य अवसर पर दिव्यांगजनों को बैटरी से चलने वाली स्वचालित साइकिलें उपहार स्वरूप प्रदान की गई।यह सेवा कार्य सर्व समृद्धि चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से समाज के प्रति दायित्व और समर्पण का प्रतीक है, जो दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मनिर्भरता और सुविधा को बढ़ावा देगा। इस प्रेरणादायी आयोजन ने समाज को समरसता और सेवा का संदेश भी दिया।इस अवसर को गौरवान्वित करने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, श्रीमती सुशीला देवी गर्ग, श्रीमती राखी गर्ग एवं श्री सुनील गर्ग की गरिमामयी उपस्थिति रही।

सभी गणमान्य अतिथियों ने दिव्यांगजनों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुनील गर्ग ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देते हुए कहा दिव्यांगता कमजोरी नहीं, बल्कि विशेष सामर्थ्य का प्रतीक है। हमें उन्हें सहानुभूति नहीं, सहयोग और अवसर देना चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

सर्व समृद्धि फाउंडेशन द्वारा किए गए इस सेवा कार्य से कई दिव्यांगजनों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सहज और आत्मनिर्भर तरीके से जीने की एक नई राह मिली है। हनुमान प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर आयोजित इस सेवा कार्य ने समाज के बीच एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया कि सेवा ही सच्चा धर्म है।

दोनों नाम की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरो दो नाम जय नारायण सिंह अहिरवार और जय नारायण सिंह है में दोनों नाम से जाना पहचाना जाता दोनों ही नाम एक कि व्यक्ति के हैं अतः भविष्य में मुझे मेरे दोनो नाम जय नारायण सिंह अहिरवार और जय नारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी
जय नारायण सिंह अहिरवार
पता- मकान न-279, इंद्रा नगर
नियू यार्ड, इटारसी, होशंगाबाद म.प्र. 461115

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, भोपाल

क्रमांक 4690/अ-6/2024-25

//इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक श्रीमती विमला बाई पत्नी श्री भरत लाल निवासी- 22 वार्ड नं 17 आकार विहार बस्ती मंडीदीप जिला रायसेन म.प्र. ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम कोटरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/2, 63/2, 64/2, 68/3, के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक-58 का क्षेत्रफल 85.50 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड/विक्रय पत्र क्रमांक एमपी059702025 ए1077540 दिनांक 04/02/2025 के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक / /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा, भोपाल

आम सूचना

प्रकरण क्रमांक 859/अ-6/2024-25

आवेदक- राकेश जैन पुत्र स्व. श्री स्वरूप चंद जैन निवासी- मकान न. 20 बी सरदार शहीद भगत सिंह कालोनी विदिशा मेन रोड भानपुर भोपाल म.प्र. द्वारा स्थित भूमि ग्राम-भानपुर खसरा क्रमांक 110/1/1, 109/1, 106/1, 105/1 अंशभाग में से रकबा 1375 वर्गफिट भूमि का फौती नामांतरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता - 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में 07 किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से दिवस में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अपत्ति प्रस्तुत ना करने की दशा में या बाद में की गयी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। उदघोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

अति. तहसीलदार
नजूल वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6787/2025

इश्तहार

आवेदक रानू पटले आ./पत्नि श्री धानीलाल निवासी बालाघाट म.प्र. द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा क्र. 16/1/1 क्षेत्रफल 139.40 हेतु भूखंड/मकान क्र. 6-सी आवासीय/गैर-आवासीय कॉलोनी आवासीय में का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा/अधिकार-त्याग-पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6810/ 2025

इश्तहार

आवेदक नितिन चौरसिया आ./पत्नि दीपन अधिकारी निवासी चूरामन चौरसिया निवासी वार्ड नंबर-2, माधोपुर मेडला द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा क्र. 16/1/1 क्षेत्रफल 55.76 हेतु भूखंड/मकान क्र. सी-99-ए आवासीय/गैर-आवासीय कॉलोनी आवासीय में का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा/अधिकार-त्याग-पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6903/ 2025

इश्तहार

आवेदक परितोष शर्मा आ./पत्नि-दिनेश शर्मा निवासी 650 विदिशा रोड, गुना द्वारा ग्राम सलैया स्थित खसरा क्र. 141,142,143,144 व 140 क्षेत्रफल 81.79 वर्गमीटर हेतु भूखंड/मकान क्र. बी-10 (आवासीय/गैर-आवासीय कॉलोनी आवासीय कॉलोनी अर्बन रीवर कालोनी में का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा/अधिकार-त्याग-पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार जिला भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6776/ 2025

इश्तहार

आवेदक श्रुति अधिकारी आ./पत्नि दीपन अधिकारी निवासी 8/10, श्रीराम अपार्टमेंट, मालवीय नगर भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा क्र. 16/1/1 क्षेत्रफल 55.76 हेतु भूखंड/मकान क्र. 53-सी आवासीय/गैर-आवासीय कॉलोनी आवासीय में का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा/अधिकार-त्याग-पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/25 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश

(7 नंबर बस स्टाप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास शिवाजी नगर भोपाल)

इश्तहार

ग्राम बरखेड़ा पठानी प्रकरण क्र.- 2597/अ-6/2024-25

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भूमि के नामांतरण कार्यवाही स्तग्भ-4 में अंकित के स्थान पर स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम की जा रही है। अतः उक्त नामांतरण में हित रखने वाले सभी व्यक्ति यो को सूचित किया जाता हैं कि वे निश्चित दिनांक को या तो स्वयं किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हो तथा नामांतरण में कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत करे।

वसीयत गृहिता-प्रवीण गिरी आ. स्व. श्री सुरेश गिरी नि. 98 सुरभी मोहनी होम्स । वसीयत कर्ता-सरेश गिरी आ. स्व. श्री ओकार गिरी नि. 98 सुरभि मोहनी होम्स।

अनुसूचीः- 1. स.क्र. 2.पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक-बरखेडा पठानी, 3. ग्राम नगरीय क्षेत्र का नाम- बरखेडा पठानी, 4. सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्याक/भू-खण्ड संख्याक- 400/1, 397/1, 5.क्षेत्रफल हेक्टयर/वर्गमीटर में-ब्लाट क्रमांक 98, रकबा 1600 वर्गफुट सुरभि होम्स 6. नामांतरण हेतु भूमि का क्षेत्रफल...।

नियत दिनांक 21/4/25 के बाद प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 15/4/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चिचली वृत तहसील कोलार भोपाल म. प्र.

प्रकरण क्र. RS/444/0760/6610/ 2025

इश्तहार

आवेदक सविता रेन्बो आ./पत्नि जीतेन्द्र रेन्बो निवासी 01-बी नेताजी हिल्स भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 18/1/2/2/1 नया खसरा नं. 81 प्लाट C-12/B क्षेत्रफल 67.50 वर्गमीटर अर्थात 726 वर्गफीट पर विक्रयपत्र/ फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 02/05/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 15/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया ।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार- भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, भोपाल

क्रमांक 4397/अ-6/2024-25

//इश्तहार//

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस आवेदक श्री अनिल कुमार मेहरा आत्मज स्व. राम बक्श मेहरा निवासी भोपाल ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम बागसेवनिया स्थित सर्वे 83 रकबा 99.54 वर्गमीटर का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 19442 दिनांक 20/05/2003 के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 09/02/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 22/1/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील -कोलार, भोपाल

क्रमांक 0045/अ-6/2024-25

//इश्तहार//

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक श्री मोनिका तिवारी आत्मज अनुज तिवारी भोपाल, म.प्र. ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109-110 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम जाटखेडी स्थित भूमि खसरा 39/1/1/1, 40, 41/1, 42/2/1/2, 42-43/1/1 अन्य के अंश भाग पर स्थित भूखण्ड क्रमांक 874 का रकबा 97.50 वर्गमीटर के आधार पर नामान्तरण किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के 15 दिन के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0039/अ-6/25-26

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती ज्योति दीक्षित पत्नी श्री नरेश दीक्षित निवासी म.नं.352, वार्ड नं. 17 कृष्णपुरम ग्राम समरधा कलियासोत म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क MP059702025A172732 दिनांक 13/03/25 ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 145/2/2/1 रकबा 37.17 वर्गमीटर भूखण्ड क्रमांक बी-18 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 29/04/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15/04/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 19/अ-6/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **25/04/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर-पुराना 115/1/2, नया-115/1/3, 3. क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता)- एक्स सूबेदार बद्रीनारायण सिंह आ. श्री रामलाली सिंह, नि. -म.नं. 5 बी पूजा श्री कालोनी के पास सी.टी.ओ. बैरागढ़ भोपाल।

आज दिनांक 11/4/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

प्रारूप - दस
(नियम 7 देखिये)

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ)- वृत्त, भोपाल

(पुराना जिला पंचायत भवन, कोहेफिजा जिला भोपाल)

रा.प्र.क्र. 18/अ-6/2025-26

:: सार्वजनिक नोटिस ::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **25/04/25** को समय दोपहर 03.00 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार नजूल संतहिरदाराम नगर बैरागढ़ वृत्त भोपाल के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों, या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

अनुसूचीः- 1. ग्राम का नाम-लाऊखेडी, 2. खसरा नंबर-पुराना 115/1/2, नया-115/1/3, 3. क्षेत्रफल-750 वर्गफिट, 4. उस व्यक्ति का विवरण जिनके पक्ष में नामांतरण विचाराधीन है (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता)-श्री कन्हैया चौबे आ. श्री शंकर चौबे व अन्य नि. म.नं.-5 ए पूजा श्री कालोनी के पास सी.टी.ओ. बैरागढ़ भोपाल।

आज दिनांक 11/4/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

तहसीलदार
नजूल संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, तहसील -कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5227/अ-6/2024-25

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री कामेश साहू आ. श्री महेश साहू निवासी इंद्रा कालोनी सुल्तानपुर जिला रायसेन म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109,110 अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क MP059702024A11201043 दिनांक 4/10/24 ग्राम समरधा कलियासोत प.ह.न. स्थित भूमि खसरा नंबर 70/1/2/2/1, 71/1/4/1/2, 72/2/1/1, 77/1/2, 91/1, 76/1/2/2, 76/1/3/2, 76/3/2, 77/2 रकबा 65.05 वर्गमीटर भूखंड क्रमांक 318 भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2- उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 30/04/2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15/04/2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल